न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा

राज्य बनाम यामीन आदि।

वाद सं0–1046/2012
मु0अ0सं0–226/2012
धारा–454,380,511 भा.दं.सं.
थाना–ठाकुरद्वारा।

17.01.2020

अभियुक्तगण गुड्डू व सुलेमान की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र वाद सं0–1046/2012 मु0अ0सं0–226/2012 धारा–454,380,511 भा.दं.सं. थाना–ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वाद उपरोक्त में पूर्व से जमानत पर थे अभियुक्तगण नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सका तथा न्यायालय द्वारा वारंट जारी कर दिये गये। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियोजन आख्यानुसार अभियुक्तगण गुड्डू व टुन्डन उर्फ सुलेमान एन.बी.डब्लू पर न्यायिक अभिरक्षा में है।

प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण पूर्व में जमानत पर था तथा नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित न आने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध वारंट जारी कर दिये गये थे। अभियुक्तगण गुड्डू व सुलेमान एन.बी.डब्लू पर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्तगण भविष्य में नियत तिथियों पर हाजिर होंगे एवं कोई हाजरी माफी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेंगे। अभियुक्तगण की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.12 को स्वीकृत हो चुकी हैं। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण गुड्डू व सुलेमान तीस हजार रूपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा।